

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.-3604/2019

=====

रुखसार अहमद अब्दुल हन्नान का बेटा गाँव-सबनपुर, पत्रा०-माधेपुर, थाना- बलिया बेलून
(कडवा), जिला-कटिहार।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. निदेशक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य,
2. जिला शिक्षा अधिकारी, कटिहार।
3. जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी कटिहार।
5. खंड विकास अधिकारी, बलरामपुर, कटिहार।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर, जिला-कटिहार।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिजोल, जिला-कटिहार।
8. प्रधानाध्यापक, प्राथमिक स्कूल, धनहारा, बलरामपुर, कटिहार।
9. मो. इजहार आलम मोहम्मद नूर कासिम का बेटा। नूर कासिम निवासी गाँव-राजोल
(पेलापुर), पत्रा०-डांगोल, थाना- बलरामपुर, जिला-कटिहार।
10. पीठासीन अधिकारी, जिला अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार।
11. राज्य अपीलीय प्राधिकरण, बिहार, पटना।

..... प्रतिवादीगण

=====

पंचायत शिक्षक की नियुक्ति/चयन-रोजगार इकाई की उपस्थिति पत्रक पर प्रथम उम्मीदवार के रूप में हस्ताक्षर याचिकाकर्ता के प्रामाणिक होने को साबित करने के लिए एक निर्णायक साक्ष्य है कि वह उपबोधन के लिए उपस्थित था, लेकिन उसका नाम रोजगार इकाई द्वारा नहीं बुलाया गया था-दिशानिर्देश की आड़ में प्राधिकरण शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है और उच्च अंक प्राप्त करने के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है-दोनों अपीलीय न्यायाधिकरण रोजगार इकाई की कार्यवाही पुस्तिका पर ठीक से विचार करने में विफल रहे हैं जिसमें याचिकाकर्ता को चुना गया था और कुछ दिशानिर्देशों के आधार पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता अपना नाम तीन बार बुलाने पर उपबोधन के लिए उपस्थित नहीं हुआ-यह युक्तिसंगत नहीं है कि उपबोधन की तारीख पर याचिकाकर्ता उपस्थित था और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किया था, लेकिन उपस्थित नहीं हुआ-योग्यता के नियम को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता के प्रतिवादी संख्या-9 से अधिक अंक हैं, को रोजगार इकाई द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया था।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.-3604/2019

=====

रुखसार अहमद अब्दुल हन्नान का बेटा गाँव-सबनपुर, पत्रा०-माधेपुर, थाना- बलिया बेलून
(कडवा), जिला-कटिहार।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. निदेशक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य,
2. जिला शिक्षा अधिकारी, कटिहार।
3. जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी कटिहार।
5. खंड विकास अधिकारी, बलरामपुर, कटिहार।
6. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर, जिला-कटिहार।
7. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिजोल, जिला-कटिहार।
8. प्रधानाध्यापक, प्राथमिक स्कूल, धनहारा, बलरामपुर, कटिहार।
9. मो. इजहार आलम मोहम्मद नूर कासिम का बेटा। नूर कासिम निवासी गाँव-राजोल
(पेलापुर), पत्रा०-डांगोल, थाना- बलरामपुर, जिला-कटिहार।
10. पीठासीन अधिकारी, जिला अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार।
11. राज्य अपीलीय प्राधिकरण, बिहार, पटना।

..... प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मो. हेलाल अहमद
 उत्तरदाताओं के लिए : श्री माधव प्र० यादव (जी. पी. 23)
 : श्री कुमरुल होड्डा, अधिवक्ता

=====

कोरम:माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा

सी ए.वी. निर्णय-

तारीख : 16-01-2024

1. पार्टियों को सुना।

2. याचिकाकर्ता राज्य अपीलीय प्राधिकरण, पटना द्वारा अपील वाद संख्या 291/2018 में पारित दिनांक 17.01.2019 के आदेश से व्यथित जिसके द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है, इस रिट याचिका से जिला अपीलीय प्राधिकरण के साथ राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी है।

3. जिला अपीलीय प्राधिकरण ने अपील वाद संख्या 25/2016 में पारित अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जब उसका नाम बुलाया गया तो वह परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ और उनके स्थान पर, प्रतिवादी संख्या-9 की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया।

4. वर्तमान रिट आवेदन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी ने अन्य लोगों के साथ कटिहार जिले के बलरामपुर ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत बिजोल में उर्दू पद के लिए पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। छह पद थे, जिनमें से उर्दू शिक्षक के अनारक्षित 02, अनारक्षित (महिला)-01,

अ०पि० वर्ग (महिला)-1, पि० वर्ग (महिला)-1 और अनुसूचित जाति (महिला)-1 थे। अनुसूचित (महिला) श्रेणी में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था जिससे चयन 5 पदों पर किया गया था। वर्तमान रिट आवेदन अनारक्षित श्रेणी के तहत 02 पदों पर शिक्षकों के चयन के संबंध में है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य मंदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी परीक्षा 778 अंकों के साथ उत्तीर्ण की और ग्राम पंचायत बिजोल में उर्दू पद पर पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक प्रामाणिक आवेदनक था। नियोजन इकाई ने योग्यता सूची तैयार की जिसमें याचिकाकर्ता को अपने अंकों के आधार पर क्रम संख्या-2 में रखा गया था और प्रतिवादी सं.9 को क्रम संख्या-3 में रखा गया था। याचिकाकर्ता के उत्तरदाता संख्या-9 की तुलना में उच्च अंक यानी 62.95% हैं जबकि प्र.सं.9 के पास 61.25% है। 18-11-2016 को याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी नं. 9 नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित हुए और उपस्थिति पत्रक (अनुलग्नक-4) पर हस्ताक्षर किए।

6. बिजोल ग्राम पंचायत की नियोजन इकाई ने 18.11.2016 को परामर्श शुरू किया और पैनल में पहले उम्मीदवार गुलाम घोष का नाम पुकारा जिनके पास 63.26% अंक था। उनकी परामर्श के बाद नियोजन इकाई ने निजी परिवादी सं.9 मो. इजहार आलम का नाम पुकारा जिसका याचिकाकर्ता से कम अंक थे। याचिकाकर्ता का नाम निजी प्रतिवादी संख्या से अधिक अंक होने के बावजूद नहीं बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने तुरंत परामर्श दल के सामने विरोध किया और बाद में नियोजन इकाई ने याचिकाकर्ता को परामर्श में उपस्थित होने की अनुमति दी। ग्राम पंचायत बिजोल के पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा परामर्श पंजी को देखा और सत्यापित किया गया (अनुलग्नक -5)। दिनांक 18.11.2016 की कार्यवाही पुस्तिका में नियोजन इकाई ने निर्णय लिया कि 18.11.2016 को परामर्श के पांच पदों पर

पंचायत शिक्षक की नियुक्ति के लिए आयोजित किया गया था। जिसमें दो अनारक्षित पदों के लिए एक 63.26% अंकों वाले मोहम्मद गुलाम घोष और 62.95% अंकों वाले रुखसार अहमद अर्थात् याचिकाकर्ता का नियुक्ति के लिए चयन किया गया है। तदनुसार, पत्र 36 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय धनहारा, ग्राम पंचायत-बिजोल, ब्लॉक-बलरामपुर, कटिहार [अनुलग्नक-7] में उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता उर्दू पद (अनुलग्नक-8) पर प्राथमिक विद्यालय धनहारा में 25/11/2016 को पढयाई ग्रहण किया 7. निजी प्रतिवादी संख्या 9 ने अपील वाद नंबर 25/2016 के माध्यम से जिला शिक्षक नियोजन प्राधिकरण, कटिहार के समक्ष अपील दायर की। जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और प्रतिवादी सं.9 को नियुक्त करने का निर्देश दिया जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने बरकरार रखा है।

8. दोनों अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता परामर्श की तारीख पर मौजूद था लेकिन उसका नाम नहीं बुलाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति/विरोध किए जाने के बाद ही उसे परामर्श प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति दी गई और चूंकि उसके निजी प्रतिवादी संख्या-9 से अधिक अंक थे। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई ने सिफारिश की।

9. दोनों अपीलीय न्यायाधिकरण इस तथ्य की सराहना करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता परामर्श की तारीख अर्थात् 18.11.2016 को रोजगार इकाई के समक्ष बहुत अधिक उपस्थित था और उसने नियोजन इकाई की उपस्थिति पत्रक पर प्रथम उम्मीदवार के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं, इस प्रकार, उक्त उपस्थिति पत्रक याचिकाकर्ता के प्रामाणिक होने को साबित करने के लिए एक निर्णायक अद्वितीय सबूत है कि वह परामर्श के

लिए उपस्थित था लेकिन उसका नाम नहीं बुलाया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता के अंक अधिक थे और दिनांक 18.11.2016 के परामर्श पंजी में कोई प्रविष्टि नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम तीन बार बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, दोनों न्यायाधिकरणों ने घोर त्रुटि की है और निजी प्रतिवादी के साथ-साथ प्र०वि.प. बलरामपुर के बयान पर भरोसा करते हुए मामले का गलत फैसला किया है कि याचिकाकर्ता का नाम बुलाए जाने पर वह उपस्थित नहीं हुआ था। प्र०वि.प. ने परामर्श पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। निस्संदेह शिक्षा विभाग का निर्देश केवल एक दिशानिर्देश था और उक्त दिशानिर्देश की आड़ में प्राधिकरण शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है और उच्च अंक प्राप्त करने के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

10. प्रत्यर्थी सं.9 के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं०- 9 के पंचायत शिक्षक (उर्दू पद) के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। परामर्श की तिथि अर्थात् 18.11.2016 को मो० गुलाम घोष और प्रतिवादी सं०-9 परामर्श के लिए उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति समिति के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से और गलत तरीके से परामर्श पंजी में क्रम संख्या-4 में अपनी उपस्थिति दर्ज की। परामर्श के दिशानिर्देशों के अनुसार मो. गुलाम घोष और प्रतिवादी सं०-9 के परामर्श के बाद उक्त परामर्श को रोक दिया जाना चाहिए था, लेकिन दिनांक 07.10.2016 के विभागीय निर्देश का उल्लंघन करते हुए संबंधित नियुक्ति समिति ने गलत तरीके से याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति की है।

11. प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर और प्र.वि.प. बलरामपुर ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपने हलफनामों में कहा है कि परामर्श के दौरान पहले गुलाम घोष पेश हुए और फिर याचिकाकर्ता का नाम तीन बार बुलाया गया लेकिन वह क्रम संख्या-2 में पेश नहीं हुए और उसके बाद प्रत्यर्थी सं-9 मो. इजहार आलम का नाम पुकारा गया और

वह क्रम सं० 2 में उपस्थित हुआ। याचिकाकर्ता परामर्श में उपस्थित नहीं हुआ और संबंधित प्राधिकारी के साथ मिलकर उसने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। जिला अपीलीय प्राधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने मामले के हर पहलू को शामिल किया है और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है।

12. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और दोनों अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला यह है कि परामर्श की तारीख को याचिकाकर्ता परामर्श के स्थान पर मौजूद था और उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए थे। याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक विवादित नहीं है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 2 से अधिक अंक रखने वाले योग्यता पैनल में क्रम सं-2 में रखा गया था भी विवादित नहीं है। जब परामर्श की प्रक्रिया के दौरान परामर्श दल द्वारा याचिकाकर्ता का नाम नहीं पुकारा गया, तो याचिकाकर्ता ने तुरंत विरोध किया तदनुसार परामर्श दल द्वारा उनकी परामर्श आयोजित की गई और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, धनहारा में उर्दू शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया।

13. जिला अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया जिसे राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-1122 दिनांक 07/10/2016 के माध्यम से जारी कुछ दिशानिर्देशों के आधार पर बरकरार रखा गया है। [जिसे अभिलेख पर नहीं रखा गया है] जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक उम्मीदवार का नाम योग्यता के क्रम में परामर्श के लिए बुलाया जाएगा। एक उम्मीदवार के नाम को तीन बार बुलाया जाएगा और यदि एक उम्मीदवार जिसका नाम तीन बार बुलाया जाता है, वह बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है और बाद में परामर्श में भाग लेना चाहता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि योग्यता सूची में कोई उम्मीदवार तीन बार बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है, तो

योग्यता सूची में अगले उम्मीदवार का नाम बुलाया जाएगा। जिला अपीलीय प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने योग्यता सूची में उच्च अंक होने के बावजूद क्रमिक संख्या-4 में अपनी परामर्श करायी वैध नहीं है क्योंकि नियम के अनुसार, दोनों पदों को भरने के बाद परामर्श बंद कर दिया जाना चाहिए था।

14. यह तथ्य कि परामर्श 18.11.2016 पर आयोजित किया गया था, विवादित नहीं है और अनुलग्नक-4 के अवलोकन से जो कि 18-11-2016 दिनांकित उपस्थिति पत्रक है, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने क्रम संख्या-1 अन्य उम्मीदवारों के साथ में परामर्श से पहले उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा विरोध किए जाने के बाद कि उसकी योग्यता की स्थिति के आधार पर उसका नाम क्रम संख्या-2 में पुकारा नहीं गया था और प्रतिवादी सं-9 का नाम पुकारा गया था जिसके कम अंक थे, परामर्श दल ने याचिकाकर्ता को परामर्श में भाग लेने की अनुमति दी और तदनुसार याचिकाकर्ता की परामर्श उसी तारीख यानी 18.11.2016 पर आयोजित की गई थी। ग्राम पंचायत बिजोल के पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा विधिवत सत्यापित परामर्श पंजी अनुलग्नक-5 में है जो याचिकाकर्ता के नाम को दर्शाता है। दिनांक 18.11.2016 की रोजगार इकाई की कार्यवाही पुस्तिका यह भी दर्शाती है कि दो अनारक्षित सीटों पर पंचायत शिक्षक की नियुक्ति के लिए परामर्श में 63.26% अंकों वाले मोहम्मद गुलाम घोष और 62.95% अंकों वाले रुखसार अहमद अर्थात याचिकाकर्ता का नियुक्ति के लिए चयन किया गया है। दोनों अपीलीय न्यायाधिकरण उस नियोजन इकाई की कार्यवाही पुस्तिका पर ठीक से विचार करने में विफल रहे हैं जिसमें याचिकाकर्ता को चुना गया था और कुछ दिशानिर्देशों के आधार पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया गया था कि याचिकाकर्ता अपना नाम तीन बार बुलाने पर परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। यह तर्क संगत नहीं है कि परामर्श की तारीख पर याचिकाकर्ता उपस्थित था और उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर भी किया था लेकिन उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि

याचिकाकर्ता उस समय उपस्थित नहीं हुआ था जब उसका नाम परामर्श दल द्वारा बुलाया गया था।

15. याचिकाकर्ता की हो चुकी परामर्श के आधार पर, नियोजन इकाई ने दिनांकित 18.11.2016 की कार्यवाही पुस्तिका में याचिकाकर्ता का चयन मोहम्मद गुलाम गोश के साथ दर्ज किया है। जब याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं९ 9 से अधिक अंक होने पर नियोजन इकाई द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया था तो अधिकारियों द्वारा योग्यता के नियम की अनदेखी नहीं की जा सकती।

16. उपरोक्त तथ्यों और यहाँ की गई चर्चाओं पर विचार करने पर, मेरी सुविचारित राय है कि जिला अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार के साथ-साथ राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दोनों आदेश भी टिकाऊ नहीं हैं। तदनुसार, अपील वाद संख्या 25/2016 में पारित 09.03.2018 और अपील वाद संख्या 291/2018 में पारित 17.01.2019 के दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है।

17. नतीजतन, प्रत्यर्थी सं.-9 की नियुक्ति को भी निरस्त की जाती है ।

18. संबंधित प्रत्यर्थी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को उर्दू शिक्षक के पद पर फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, जहां से उन्हें जिला अपीलीय प्राधिकरण, कटिहार द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में हटा दिया गया था।

19. रिट आवेदन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के तहत दी गई है।

20. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।